स्टेशन संचालन नियम सं.इज्जतनगर/62 काशीपुर
जारी तिथि लागू तिथि

परिशिष्ट – क XII

काशीपुर – रामनगर स्टेशनों के मध्य स्थित इन्जी. समपार फाटक सं. 43'बी' के संचालन हेतु अनुदेश

1. विवरण

1.1 सामान्य –

(1) समपार फाटक की संख्या : 43 श्रेणी : बी

(2) इंजीनियरिंग/यातायात फाटक : इंजीनियरिंग

(3) अधीन स्टेशन अधी0/रेल पथ निरिक्षक : सेई (रेल पथ)/काशीपुर

(4) किलोमीटर पर स्थित : 52/6–7

(5) स्टेशन काशीपुर

(6) स्टेशन मध्य : काशीपुर – रामनगर

(7) बी0जी0/एम0जी0/एन0जी0 : बी.जी.

(8) इकहरी/दोहरी/मिश्रित : इकहरी

(9) सामान्य स्थिति : सड़क यातायात के लिए खुला

(10) इण्टरलाक्ड/नानइण्टरलाक्ड : इंटरलॉक

(11) इण्टरलाकिंग का प्रकार : गेट सिगनल

(12) गेट सिगनलों का प्रावधान किलोमीटर

(i) डाउन लाइन : 52/4–5

(ii) अप लाइन : 51/6–7

(13) संकेतन व्यवस्था : द्विसंकेती लोअर क्वाड्रेन्ट सिगनल

(14) संचार साधन टेलिफोन/घंटी : टेलीफोन स्टेमा/काशीपुर से सम्बद्ध

(15) समपार फाटक की चौड़ाई : 8.50 मीटर

(16) सड़क का प्रकार (एन0एच0/एस0एच0/अन्य) : एस0एच0

(17) सड़क का नाम : काशीपुर–रामनगर रोड

(18) पक्का/कच्चा : पक्का

(के0 एस0 सोनाल)	(आकाश गुप्ता)	(अतुल सिंह)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)	वरिष्ठ मण्डल इन्जीनियर – I	मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर	पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर	पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

स्टेशन संचालन नियम सं.इज्जतनगर/62 काशीपुर

जारी तिथि लागू तिथि

(19) पहुँच मार्ग :	ए.एस.पी.
(20) सड़क की चौड़ाई :	8.50 मीटर
(21) सड़क का क्रासिंग कोण (इस्क्यू गेट के लिए) :	55
(22) सड़क का ढ़ाल यदि कोई हो	
(i) उत्तर से पूर्व की तरफ :	समतल
(ii) दक्षिण से पश्चिम की तरफ :	समतल
(23) सड़क की चौड़ाई (सीधा/गोलाई)	
(i) उत्तर से पूर्व की तरफ :	गोलाई
(ii) दक्षिण से पश्चिम की तरफ :	गोलाई
(24) 'हाइट गेज का प्राविधान' :	नहीं
(25) बैरियर का प्रकार :	लिफिटंग बैरियर
(26) चेक रेल की लम्बाई :	10.97 मीटर
(27) समपार के मध्य सड़क का सतह :	ए.एस.पी
(28) रम्बल स्ट्रिप/गति अवरोधक की लम्बाई :	बायें–9.00 मीटर, दायें–9.00 मीटर
(29) रोड साइन :	उपलब्ध
(30) गति अवरोधक बोर्ड :	उपलब्ध
(31) टी0वी0यू0 :	51272 अक्टूबर 2009
(32) अगली गणना की तिथि :	2012
(33) पटाखा सिगनल लगाने का निर्दिष्ट स्थान :	हैं
(34) गेटमैनो की संरव्या :	दो
(35) निकटतम रेलवे सहायता केन्द्र :	काशीपुर
(36) निकटतम निजी चिकित्सा सहायता की उपलब्धता यदि कोई हो :	काशीपुर
(37) उपलब्ध उपकरणों की सूची हॉ/नही :	हॉ

(के0 एस0 सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(आकाश गुप्ता)
वरिष्ठ मण्डल इन्जीनियर – I
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

1.2 उपकरण –

(1)	हाथ सिगनल बत्ती (K. Oil)	02
(2)	हरी हाथ झंडी	01
(3)	लाल हाथ झंडी	03
(4)	बैनर फ्लैग लाल	03
(5)	लाल बैनर फ्लैग लगाने हेतु पोस्ट	02
(6)	तालों के साथ अतिरिक्त चेन (जंजीर)	02 (स्टाप डिस्क के साथ)
(7)	पटाखा सिगनल	10
(8)	ट्राय कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प (बैट्री लिट)	01
(9)	गेट लैम्प	02
(10)	टोमीवार	01
(11)	मोर्टार पैन (तसला)	01
(12)	फावड़ा/बेल्चा	01
(13)	दुर्मुठ	01
(14)	पिक एक्स	01
(15)	टिन केस झंडी के लिए	01
(16)	कैन मिटटी के तेल हेतु	01
(17)	बाल्टी/पानी पीने का बर्तन	01
(18)	टिन केस मस्टर शीट के लिए	01
(19)	चश्मों का अतिरिक्त सेट जो चश्मा लगाते है (दृष्टि वाला)	01
(20)	गेट पर अवरोध की दशा में समपार की संरक्षा हेतु प्रदर्शित डायग्राम	01
(21)	टोकरी	01
(22)	सीटी (Thunder Whistle)	01
(23)	दीवार घड़ी	01
(24)	छोटी चेन व पैडलॉक (बूम लॉकिंग हेतु)	02

(के0 एस0 सोनाल)	(आकाश गुप्ता)	(अतुल सिंह)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)	वरिष्ठ मण्डल इन्जीनियर – I	मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर	पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर	पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

1.3 गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख

(1) गेट का कार्यकारी अनुदेश हिन्दी में।
(2) गेटमैन नियम पुस्तिका हिन्दी भाषा में।
(3) पुस्तकों एवं उपकरणों की सूची।
(4) डियूटी रोस्टर।
(5) गेटमैन का कार्य करने का प्रमाण पत्र।
(6) गेटमैन का वायोडाटा, नेत्र जांच, प्रारंभिक पुनश्चर्या, संरक्षा कैम्प इत्यादि।
(7) दुर्घटना रजिस्टर।
(8) समपार फाटक पर अंतिम गणना का अभिलेख।
(9) निरीक्षण पुस्तिका।
(10) संकेत एवं दूर संचार पंजिका (इंटरलॉक्ड इंजीनियरिंग गेट हेतु)
(11) जन प्रतिवेदन पुस्तिका

1.4 गेटमैन के कर्त्तव्य :

(1) **सावधानी**

गेट मैन सदैव किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिये की जाने वाली त्वरित कार्यवाही के प्रति सावधान रहेगा।

(2) **ट्रेन के समपार फाटक से गुजरते समय फाटक वाले की स्थिति**

ट्रेन के गुजरने की स्थिति में गेट मैन बतायी गयी निम्नलिखित स्थिति में खड़ा रहेगा।

(i) गेट मैन सतर्कता पूर्वक गेटलाज के सामने आती हुयी ट्रेन के तरफ मुँह करके खड़ा रहेगा।

(ii) दिन में गेट मैन दॉये हाथ में सिमटी लाल झण्डी तथा बायें हाथ में सिमटी हरी झण्डी डण्डे में लगी हुई मोड़कर लिये रहेगा।

(iii) रात्रि समय में गेट मैन जलती हुयी सफेद हाथ बत्ती लाइन के तरफ दिखाता हुआ खड़ा रहेगा।

(iv) गेट मैन गले में धागे में बांधकर सीटी लटकाये रहेगा।

(3) **गेट मैन की नियमित ड्यूटी**

(i) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि गेट लैम्प को सूर्यास्त से सूर्योदय तक लगातार जलते हुए स्थिति में रखेगा।

(ii) गेट मैन अपनी ड्यूटी निश्चित रूप से ड्यूटी रोस्टर के अनुसार करेगा और जब तक कार्यमुक्त करने हेतु साथी आ न जाये और वह गेट का कार्यभार ग्रहण न कर ले, तब तक गेट मैन गेट छोड़कर नहीं जायेगा। गेट मैन को यदि आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक से हटना अपरिहार्य हो तो वह गेट छोड़ने से पूर्व गेट को सड़क यातायात के लिए बंद करके ताला लगायेगा।

(iii) इन निर्देशों के अतिरिक्त गेट मैन गुजरती हुयी ट्रेन को देखता रहेगा और ट्रेन की संरक्षा हेतु कार्य करने के लिए तत्पर रहेगा।

(के0 एस0 सोनाल)	(आकाश गुप्ता)	(अतुल सिंह)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)	वरिष्ठ मण्डल इन्जीनियर – I	मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर	पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर	पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(iv) गेट मैन गुजरती हुयी सभी ट्रेनों पर पैनी नजर रखेगा जिससे किसी अप्रत्याशित घटना जैसे- हॉट एक्सल (गर्म धुरा), लटकती हुई चैन, लटकता हुआ बैट्री, किसी वाहन/वैगन/ट्रेन/बैट्री बाक्स में आग लगी हो, ब्रेक ब्लाक, ब्रेक बीम, सेफ्टी ब्रेकेट, वैक्यूम सिलेन्डर आदि का लटकना, गिरना जिसके कारण ट्रेन की संरक्षा बाधित हो का पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करेगा।

(v) गेट मैन गार्ड द्वारा ड्राइवर को बाकी-टाकी अथवा किसी अन्य माध्यम से दिये गये संकेतों को दोहराने के लिए तैयार रहेगा।

(vi) समपार फाटक का बैरियर गेट क्षतिग्रस्त अथवा खराब होने की दशा में गेट मैन अतिरिक्त चैन डिस्क एवं तालों का प्रयोग कर सड़क यातायात बंद करेगा।

(vii) गेट मैन अपने गेट की किसी भी खराबी के लिए यथाशीघ्र समीप वाले स्टेशन मास्टर, गैंग मेट अथवा रेल पथ निरीक्षक को सूचित करेगा।

(viii) गेट सिगनल चाभी खराब हो जाने की दशा में गेटमैन गेट सिगनल को 'आन' की दशा में रखेगा।

(ix) समपार फाटक के गेट सिगनल खराब हो जाने की दशा में गेटमैन ट्रेन देखकर बैरियर को बन्द कर ताला लगा देगा और हाथ सिगनल देगा या ट्रेन को डिफेक्टिव सिगनल तक पायलट करेगा। ऐसी स्थिति में वह गाडी के चालक द्वारा खराबी की सूचना अगले स्टेशन पर भेजेगा।

(x) जब गेट मैन अपने कार्य पर रहेगा तो वह निर्धारित वर्दी एवं बैज धारण करेगा।

(xi) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि डियूटी के समय उसके पास दक्षता प्रमाण पत्र उपलब्ध है।

(xii) गेटमैन, गेट संचालन नियमों के अनुरूप कार्य करेगा तथा नियमों के बारे में पूर्णरूपेण जानकारी रखेगा।

(xiii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके गेट पर आपूर्ति किये गये सभी उपकरण अच्छी स्थिति में है एवं तत्काल प्रयोग हेतु तैयार है।

(xiv) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि समपार पर चैक रेल गैप साफ है।

(xv) गेट मैन समपार फाटक की सड़क को (कच्ची सड़क) पानी छिड़ककर एवं दुरमुट से ठोककर ठीक रखेगा।

(xvi) गेट मैन सड़क प्रयोगकर्त्ताओं की, गेट को बंद रखने की स्थिति से उत्पन्न असुविधाओं के प्रति सतर्क रहेगा तथा ध्यान देगा कि समपार फाटक कम से कम समय के लिए बन्द हो।

(xvii) जहां तक संभव हो गेट मैन मनुष्यों अथवा जानवरों के अवैध आवागमन पर रोक लगायेगा।

(4) <u>ट्रेन की असामान्य स्थिति में किया जाने वाला कार्य</u>

यदि गेटमैन किसी पास हो रही गाड़ी में कोई असामान्य बात देखता है तो वह निम्न कार्य करेगा ।

(i) वह तत्काल ही ड्राइवर/गार्ड को दिन में लाल झण्डी तथा रात में लाल बत्ती दिखाकर सचेत करेगा ।

(ii) साथ ही साथ ड्राइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए लगातार सीटी बजायेगा, चिल्लायेगा, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करेगा तथा ब्रेकवान पर पत्थर फेकेगा अथवा कोई अन्य साधन अपनायेगा।

(iii) यदि ड्राइवर/गार्ड उपरोक्त कार्यों के उपरांत भी ध्यान नहीं देते हैं और गाड़ी नही रुकती है तो वह स्टेशन मास्टर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए तो तद्नुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगा।

(के0 एस0 सोनाल)	(आकाश गुप्ता)	(अतुल सिंह)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)	वरिष्ठ मण्डल इन्जीनियर – I	मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर	पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर	पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(iv) **किसी ट्रेन के विभक्त हो जाने की दशा में (पार्टिंग) गेट मैन रोक हैण्ड सिगनल(लाल) नहीं दिखायेगा बल्कि वह दिन में हरी झन्डी तथा रात में सफेद बत्ती ऊपर-नीचे करके निर्धारित संकेत करेगा।**

(v) वह ड्राइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास लगातार सीटी बजाकर, चिल्लाकर, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाकर तुरन्त दोनों हाथों को अलग करके पुनः दोनों हाथों को सटाते हुए पुनः हाथों को बिल्कुल नीचे करते हुए करेगा।

(vi) गेटमैन तुरन्त टेलीफोन पर स्टेशन मास्टर को उचित कार्यवाही करने हेतु गोपनीय संख्या के आदान-प्रदान के अन्तर्गत इसकी सूचना देगा।

(5) <u>आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही</u>

(i) समपार फाटक पर कोई अवरोध आ जाने पर वह लाइन पर दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में निर्धारित स्थान पर लाल बत्ती लगायेगा।

(ii) इसके उपरान्त यदि गेट मैन अवरोध हटाने में सक्षम नहीं है तो वह स्टेशन मास्टर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए गेट की खराबी/अवरोध के बारे में तत्काल सूचित करेगा।

(iii) यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी स्टेशन मास्टर/काशीपुर कोई प्रत्युत्तर नहीं देते है तो गेट मैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के बाद पुनः टेलीफोन से सूचित करेगा।

1.5 <u>गेट मैन गेट की संरक्षा (बचाव) निम्नलिखित अनुसार करेगा</u>

(अ) <u>इकहरी लाइन पर</u>

(i) गेट मैन दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती 5 मीटर दूर निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम उस तरफ लगा देगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना है।

(ii) इसके पश्चात उसी तरह दिन में दूसरा लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लाइन की दूसरी ओर अवरोध से 5 मीटर की दूरी पर लगायेगा।

(iii) गेटमैन तब पटाखे लेकर एवं दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्राय कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प लेकर गेट को संरक्षित करने के लिए आगे बढ़ेगा।

(iv) गेटमैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्राय कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प दिखाते हुये पहले लाइन पर उस दिशा में बढ़ेगा जिधर से ट्रेन के आने की सम्भावना है तब 600 मीटर पर एक पटाखा लगा देगा उसके पश्चात वह समपार से 1200 मीटर की दूरी पर तीन पटाखे 10-10 मीटर की दूरी पर लगायेगा। इस प्रकार लाइन को संरक्षित करने के उपरान्त वह समपार पर लौटते हुये पूर्व में 600 मीटर पर लगाये गये पटाखा उठा लेगा।

(v) इसके बाद वह उसी प्रकार जैसा कि क्रमांक (iv) में वर्णित है लाइन की दूसरी तरफ पटाखा लगायेगा तथा समपार की तरफ लौटते हुये बीच का पटाखा उठा लेगा।

(vi) समपार गेट पर लौटने के पश्चात गेट मैन अवरोध को हटाने तथा आने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सचेत करने का प्रयास करेगा।

(vii) उन परिस्थितियों में जब गेट मैन रास्ते में ही है और निर्दिष्ट स्थानों पर जहॉ पटाखे लगाये जाते हैं, पहुॅचने के पूर्व ही वह ट्रेन को आते देखता है अथवा ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती है तो वह जहॉ तक पहुॅच सकता है उसी स्थान पर पटाखा लगा देगा।

(के0 एस0 सोनाल)	(आकाश गुप्ता)	(अतुल सिंह)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)	वरिष्ठ मण्डल इन्जीनियर – I	मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर	पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर	पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(viii) उसके उपरान्त गेट मैन दिन में लाल झण्डी दिखाकर एवं रात्रि में लाल फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प चालक को दिखाकर सचेत करेगा/रोकेगा।

(ब) गेट मैन द्वारा किये जाने वाली अन्य कार्यवाही

(i) यदि समपार गेट किसी वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है और वाहन ट्रैक को बाधित कर रहा है, या बैरियर या गेट का अन्य कोई भाग ट्रैक को बाधित कर रहा है या गेट पर अन्य कोई अवरोध है तो गेट मैन तुरन्त कार्यवाही करेगा।

(ii) गेट मैन सड़क यातायात का विवरण लिखेगा जैसे– वाहन संख्या, ड्राइवर का नाम, मालिक का नाम और गेट मैन स्टेशन मास्टर अथवा रेल पथ निरीक्षक को किसी संदेशवाहक या अन्य उपलब्ध संसाधनों के द्वारा सूचित करेगा।

2. **समपार फाटक के संचालन हेतु विशेष अनुदेश** – इन अनुदेशों को प्र.म.सि.दू.ई/इज्जतनगर के संलग्न आरेख सं. 315 दिनांक 13.09.94 के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

2.1 संचालन पद्धति :–

समपार फाटक को सड़क यातायात के विरूद बंद करने के लिए कार्यरत गेटमैन बिंच को तब तक संचालित करेगा जब तक कि बैरियर नीचे आकर समतल स्थिति में बूम पोस्ट पर स्थिर न हो जायें। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर के बीच में कोई सड़क वाहन न फॅस जाए। बिंच को इस स्थिति में लॉक (Lock) करने के लिए 'ई' प्रकार के लॉक (Lock) से चाबी 'पी' को निकाल लेगा तथा लीवर सं. 1 में लगे 'ई' प्रकार के लॉक में चाबी 'पी' को लगाकर रिवर्स करेगा, यह गेट सिगनल के लीवरों को मुक्त करेगा तथा बूम को फाटक बन्द स्थिति में लॉक करेगा और गेटमैन गेट सिगनलों को 'ऑफ' करने के लिए सम्बन्धित लीवरों को खींचेगा। गेट सिगनलों के लीवरों को रिवर्स करने के बाद गेटमैन, दिन के समय बाये हाथ में सिमटी हुई हत्थेदार लाल झण्डी एवं दाहिने हाथ में हरी झण्डी तथा रात के समय सफेद प्रकारा वाला हैंड सिगनल लैम्प ट्रैक की तरफ दिखाता हुआ गेट लाज के पास खड़ा होकर गाड़ी के समपार फाटक से सुरक्षित गुजरने का प्रेक्षण करेगा।

फाटक की सुरक्षा के लिए अप तथा डाउन कलर लाइट गेट सिगनलों की व्यवस्था है। सिगनलों के परिचालन तथा फोर बूम लाकिंग हेतु 3 लीवर का ग्राउन्ड फ्रेम लगा है जो इस प्रकार है :–

लीवर संख्या	विवरण	किसके द्वारा मुक्त होते हैं (Released By)	लॉक्ड (Lock)
1.	बूम लाकिंग लीवर	चाबी 'पी'	––
2.	अप गेट सिगनल	1	3
3.	डाउन गेट सिगनल	1	2

गाड़ी के पूरी तरह गुजर जाने के बाद गेटमैन समपार फाटक को सड़क यातायात के लिए खोलने के लिए सिगनल लीवरों को नार्मल करेगा जिससे लीवर नं. 1 मुक्त होगा, जिसे नार्मल करने के बाद 'ई' प्रकार के लॉक में लगी चाबी 'पी' को निकाल लेगा। चाबी 'पी' को बिन्च में लगे 'ई' प्रकार के लॉक में लगाकर घुमाएगा तथा बिन्च को संचालित करेगा जब तक कि लिफ्टिंग बैरियर ठीक ऊपर लम्बवत उठ न जाय।

(के0 एस0 सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(आकाश गुप्ता)
वरिष्ठ मण्डल इन्जीनियर – I
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

गाड़ी के सम्भावित आगमन और प्रस्थान से पहले 10 मिनट से अधिक समय तक फाटक को बन्द नही रखना चाहिए। किसी भी मामले में समपार फाटक लगातार 12 मिनट से अधिक समय तक बन्द नही रखना चाहिए।

2.2 गेटमैन को सूचित करना :–

1. कार्यरत स्टेशन मास्टर/काशीपुर, रामनगर स्टेशन को/से किसी गाड़ी का लाइन क्लीयर देने/लेने से पहले गेटमैन को टेलीफोन द्वारा गाड़ी संरव्या, विवरण, दिशा, तथा समपार पर पास करने का संभावित समय के साथ सूचित करेगा।
2. गेटमैन का यह दायित्व है कि वह समय से समपार फाटक बन्द करे जिससे गाड़ियो का विलम्बन न हो तथा सड़क यातायात अधिक समय तक विलम्बित न हो।

नोट :– स्टेमा/गेटमैन इन सूचनाओं की प्रविष्टि अपनी लॉग–बुक में निम्न प्रकार करेगा –
स्टेशन मास्टर की लॉग बुक

तिथि	गाड़ी सं0	गेटमैन को सूचित करने का समय	समपार से गाड़ी गुजरने का सम्भावित समय	स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5

गेटमैन की लॉग बुक

तिथि	गाड़ी सं0	समपार से गाड़ी गुजरने का सम्भावित समय	गेटमैन द्वारा गेट बन्द करने का समय	समपार से पूरी गाड़ी गुजरने का वास्तविक समय/समपार खोलने का समय	गेटमैन का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6

2.3 टेलीफोन संचार की विफलता :–

1. जब टेलीफोन संचार विफल हो जाय अथवा दो या तीन प्रयास के बाद भी गेटमैन के तरफ से कोई प्रत्युत्तर न प्राप्त हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर/काशीपुर गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
2. यदि गेट सिगनल 'आन' हैं तो ड्राइवर गेट सिगनल के पहले गाड़ी रोक कर सामान्य नियम 3.73 के अनुसार कार्यवाही करेगा।
3. जब गाड़ी रामनगर के तरफ से आने वाली है तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/काशीपुर कार्यरत स्टेशन मास्टर/रामनगर को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि टेलीफोन रवराब है तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/रामनगर गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
4. कार्यरत स्टेशन मास्टर/काशीपुर गेटमैन को भी गैंग मैन/पेट्रोल मैन/प्रथम गाड़ी के ड्राइवर द्वारा टेलीफोन रवराब होने की सूचना देगा।
5. कार्यरत स्टेशन मास्टर/काशीपुर दूरसंचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है अति शीध्र टेलीफोन ठीक करने के लिए सूचना देगा।
6. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब संकेत एवं दूरसंचार विभाग टेलीफोन ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

(के0 एस0 सोनाल)	(आकाश गुप्ता)	(अतुल सिंह)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)	**वरिष्ठ मण्डल इन्जीनियर – I**	**मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0**
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर	**पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर**	**पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर**

2.4 लिफ्टिंग बैरियर या बूम लॉकिंग की विफलता :–

1. जब लिफ्टिंग बैरियर खराब हो जाने के कारण गेट बन्द न किया जा सके तो गेटमैन तुरन्त प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करके कार्य पर उपस्थित स्टेशन मास्टर/काशीपुर को सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नही कर रहा हैं।
2. बूम लॉकिंग विफल होने पर इस सम्बन्ध में प्रदत्त छोटी चेन को प्रत्येक बूम पर बूम पोस्ट से बांध कर बूम को पैडलॉक द्वारा लॉक करेगा।
3. गेटमैन तुरन्त दिन में लाल बैनर फलैग एवं रात्रि में लाल बत्ती समपार पर निर्दिष्ट स्थान पर सर्वप्रथम उस तरफ लगायेगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना हो तदोपरान्त समपार के दूसरी तरफ लगायेगा।
4. गेटमैन समपार को सड़क यातायात से रोकने के लिए सुरक्षा चेन और तालों द्वारा बन्द करेगा।
5. सड़क यातायात को सुरक्षित करने के उपरान्त गेटमैन दिन के समय हत्थेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती आती हुयी गाड़ी के ड्राइवर को दिखायेगा।
6. कार्यरत स्टेशन मास्टर/काशीपुर गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
7. जब गाड़ी रामनगर के तरफ से आने वाली है तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/काशीपुर कार्यरत स्टेशन मास्टर/रामनगर को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर खराब है तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/रामनगर गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
8. ड्राइवर को गेट सिगनल के पहले गाड़ी रोक कर सामान्य नियम 3.73 के अनुसार कार्यवाही करेगा तथा गेटमैन के सिगनल को देखते हुए आगे बढ़ेगा।
9. कार्यरत स्टेशन मास्टर/काशीपुर संकेत एवं दूरसंचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
10. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब संकेत एवं दूरसंचार विभाग लिफ्टिंग बैरियर ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.5 गेट की 'चाभी' गेट के बन्द स्थिति में विफल हो जाना जब 'चाभी' गेट को खोलने के लिए निकाली न जा सके :–

1. जब गेट चाभी बूम लॉक लीवर से बाहर नही निकाली जा सकती तब गेटमैन तुरन्त कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर के आदान प्रदान के अन्तर्गत टेलीफोन पर सूचित करेगा।
2. इस परिस्थिति में गेट को नॉन इंटरलॉक गेट समझना चाहिए और उसी के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए।
3. कार्यरत स्टेशन मास्टर/काशीपुर को सतर्कता आदेश गेट की तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ी के लिए जारी करना चाहिए।
4. कार्यरत स्टेशन मास्टर/काशीपुर कार्यरत स्टेशन मास्टर/रामनगर को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर खराब है तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/रामनगर गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
5. कार्यरत स्टेशन मास्टर जिम्मेदार एस. एण्ड टी. स्टाफ को खराब यन्त्र के शीघ्र मरम्मत के लिए लिखित सूचना देगा।
6. सामान्य स्थिति केवल एस. एण्ड टी. स्टाफ के मरम्मत के बाद रिक्नेक्शन/फिट मेमो देने के बाद ही होगी।

(के0 एस0 सोनाल)	(आकाश गुप्ता)	(अतुल सिंह)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)	वरिष्ठ मण्डल इन्जीनियर – I	मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर	पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर	पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

2.6 'गेट चाभी' का गेट के खुली दशा में विफल हो जाना :–

1. जब गेट चाभी विन्च से बाहर निकाली जा सकती तब गेटमैन् तुरन्त कार्यरत स्टेशन मास्टर/काशीपुर को प्राइवेट नम्बर के आदान प्रदान के अन्तर्गत टेलीफोन पर सूचित करेगा।
2. इस परिस्थिति में गेट को नॉन इंटरलॉक गेट समझना चाहिए और उसी के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए।
2. कार्यरत स्टेशन मास्टर/काशीपुर सतर्कता आदेश गेट की तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ी के लिए जारी करना चाहिए।
3. कार्यरत स्टेशन मास्टर/काशीपुर कार्यरत स्टेशन मास्टर/रामनगर को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि गेट चाभी गेट के खुली दशा खराब है तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/रामनगर गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
4. गेटमैन चेन एवं तालों द्वारा गेट को बन्द कर देगा तथा गाड़ियो को हाथ संकेत द्वारा पास करेगा।
5. कार्यरत स्टेशन मास्टर जिम्मेदार एस. एण्ड टी. स्टाफ को खराब यन्त्र के शीध्र मरम्मत के लिए लिखित सूचना देगा।
6. सामान्य स्थिति केवल एस. एण्ड टी. स्टाफ के मरम्मत के बाद रिक्नेक्शन/फिट मेमो देने के बाद ही होगी।

2.7 गेट सिगनल की विफलता :–

1. गेटमैन निम्न लिखित स्थितियों में गेट सिगनल को खराब मानेगा और गेट सिगनल को ऑफ नही करेगा।
   (अ) यदि गेट सिगनल बिना गेट को बन्द किये हुये 'आफ' किया जा सके या
   (ब) यदि 'चाभी' को विन्च से गेट की खुली स्थिति में निकाली जा सके।
2. यदि गेट या गेट सिगनल 'आफ' की स्थिति में खराब हो जाय तो गेटमैन इन्हे 'आन' स्थिति में लाने का प्रयास करेगा।
3. गेटमैन् अविलम्ब कार्यरत स्टेशन मास्टर/काशीपुर को प्राइवेट नम्बर के आदान प्रदान के अन्तर्गत टेलीफोन पर सूचित करेगा।
4. उसके बाद गेट को नॉन इंटरलॉक गेट मान लिया जायेगा तथा नॉन इंटरलॉक गेटों के लिये निर्धारित पद्धति के अनुसार आगमन/प्रस्थान किया जायेगा।
5. गेटमैन दिन के समय हत्थेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गेट को बन्द करने के बाद गुजरती हुयी गाड़ीयो को दिखवायेगा।
6. कार्यरत स्टेशन मास्टर/काशीपुर को सतर्कता आदेश गेट की तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ी के लिए जारी करना चाहिए।
7. कार्यरत स्टेशन मास्टर/काशीपुर कार्यरत स्टेशन मास्टर/रामनगर को प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि गेट सिगनल खराब है तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/रामनगर गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
8. कार्यरत स्टेशन मास्टर जिम्मेदार एस. एण्ड टी. स्टाफ को खराब यन्त्र के शीध्र मरम्मत के लिए लिखित सूचना देगा।
9. सामान्य स्थिति केवल एस. एण्ड टी. स्टाफ के मरम्मत के बाद रिक्नेक्शन/फिट मेमो देने के बाद ही होगी।

(के0 एस0 सोनाल)	(आकाश गुप्ता)	(अतुल सिंह)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)	**वरिष्ठ मण्डल इन्जीनियर – I**	**मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0**
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर	**पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर**	**पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर**

2.8 समपार फाटक पर अवरोध :–

1. यदि काई सड़क वाहन समपार फाटक को तोड़कर रेल पथ को बाधित कर रहा है या लिफ्टिगं बैरियर या गेट का कोई अन्य भाग रेल पथ को बाधित कर रहा है या यदि अन्य कोई बाधा गेट पर है तो तुरन्त गेट सिगनल को 'आन' स्थिति में कर देगा।
2. समपार के दोनो तरफ आवश्यकता हेतु लगाये गये पोस्टों पर दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लगायेगा।
3. इसके तुरन्त बाद ही गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर/काशीपुर को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए अवरोध के बारे में सूचित करेगा।
4. यदि दो तीन प्रयासो के बाद भी कार्यरत स्टेमा/काशीपुर के द्वारा कोई प्रत्युतर नही प्राप्त होता हैं तो गेटमैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के उपरान्त टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।
5. गेटमैन पटाखा लेकर एवं दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्राय कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प लेकर तेजी से जिस तरफ गाड़ी का आगमन सम्भावित है, की तरफ रेल पथ को 'गेट मैनों' की कार्य प्रणाली सामान्य निर्देश के मद संरव्या 1.5 के अनुसार संरक्षित करेगा।
6. तदोपरान्त गेटमैन गेट का दूसरी तरफ संरक्षित करेगा।
7. गेटमैन सड़क वाहन के विवरणों जैसे– चालक का नाम, सड़क वाहन के मालिक का नाम लिरवकर स्टेशन मास्टर/काशीपुर को सूचित करेगा तथा स्टेशन मास्टर/काशीपुर तब तक गाड़ी को नही चलायेगा जब तक गेटमैन सुनिश्चित नहीं कर देता है कि सड़क वाहन या लिफ्टिगं बैरियर रेल पथ को बाधित नही कर रहे है।
8. कार्यरत स्टेमा/काशीपुर कार्यरत स्टेमा/रामनगर को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि वह अपने तरफ से कोई गाड़ी न भेजे जब तक रेल पथ से बाधा हटा न दिया जाय।
9. रेल पथ से बाधा हटा दिये जाने के बाद गेटमैन प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए कार्यरत स्टेशन मास्टर/काशीपुर को सूचित करेगा।
10 तब कार्यरत स्टेशन मास्टर,/काशीपुर सभी ट्रेन के चालको को सर्तकता आदेश जारी करेगा कि गेट सिगनल को 'ऑन' की स्थिति में गेटमैन द्वारा हरा संकेत देने पर सावधानी पूर्वक पार करें। यदि गेट टूटा हो परन्तु गेट पर कोई व्यवधान न हो।
11. गेटमैन समपार फाटक को संरक्षा चेन एवं तालों द्वारा सड़क यातायात के लिए संरक्षित करेगा तथा उसके बाद यदि समपार फाटक पर कोई व्यवधान नहीं है तो गेटमैन दिन के समय हत्थेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुयी गाडियो को दिरवायेगा।
12. कार्यरत स्टेशन मास्टर जिम्मेदार एस. एण्ड टी. स्टाफ को रवराब यन्त्र के शीध्र मरम्मत के लिए लिखित सूचना देगा।
13. सामान्य स्थिति केवल एस. एण्ड टी. स्टाफ के मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो देने के बाद ही होगी।

2.9 समपार फाटक के समीप रेल पथ पर अवरोध :–

यदि किसी रेल का टूटना, रेल पथ पर पेड़ गिरने से कोई अवरोध, सड़क वाहन द्वारा बाधा अथवा कोई अवपथन जो गेटमैन को दिरवाई देता हो तो गेट मैन तथा कार्यरत स्टेशन मास्टर/काशीपुर मद सं. 2.8 में वर्णित निर्देश के अनुसार कार्यवाही करेंगे यदि कोई अवरोध समपार फाटक को बाधित करता हैं तो गेटमैन सड़क यातायात के लिये सड़क को उस समय तक बन्द ररवेगा जब तक रेल पथ से बाधा हटा नही दिया जाय।

(के0 एस0 सोनाल)	(आकाश गुप्ता)	(अतुल सिंह)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)	वरिष्ठ मण्डल इन्जीनियर – I	मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर	पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर	पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर